

प्रेसनोट दिनांक 17.06.2022

1. दिनांक 16.06.22 को वादी मो० इब्राहिम पुत्र मो० अशरफ नि० मोहल्ला गुदडी बाजार थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मो० वारिस शेख पुत्र मो० शरिफ नि० कोटा पार्चा थाना को०नगर अयोध्या। अभि० द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 473/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 16.06.22 को वादी श्री मन्दू प्रजापति पुत्र घिराऊ नि० मक्खापुर थाना को०अयोध्या अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि कन्हैया पुत्र रामचन्द्र नि० मक्खापुर थाना को०अयोध्या अयोध्या।आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 222/22 धारा 323, 452, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 16.06.22 को वादी श्री दानबहादुर पुत्र बुधिराम नि० मोहत्सिमकपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वा०सं० यूपी 42आर 0506 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी की मो०सा० में टक्कर मार देना जिससे वादी व वादी की पत्नी का गम्भीर रूप से घायल हो जाना तथा वाहन क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 288/22 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 16.06.22 को वादी श्री लियाकत अली पुत्र एहसान अली नि० पूरेखान थाना को०रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वा०सं० यूपी 42एटी 8146 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी की पोती को टक्कर मार कर घायल कर देना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 250/22 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 16.06.22 को वादीउ०नि० श्री जितेन्द्र यादव थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि एमएस ढाबा मालिक नाम पता अज्ञात ढाबा मालिक द्वारा ढाबा के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 116/22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो०स० क्षति नि० अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।